झारखण्ड सरकार

कार्यालय :–जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , लोहरदगा।

अल्पकालीन निविदा सूचना सं0– 04/2019–20

मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, रॉची के द्वारा निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या 20 , दिनांक 25.06.2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णधार योजना अन्तर्गत लोहरदगा जिला के मत्स्य बीज उत्पादकों को एवं मत्स्य पालकों को मैश फिड उपलब्ध कराने हेतु प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों (फार्म)से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा दाता का नाम – जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी लोहरदगा।
2. अग्रधन राशि – 10000 रू0 (क्र0–1 में वर्णित नाम से लोहरदगा में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट)
3. निविदा प्रपत्र प्राप्ति का स्थान – जिला मत्स्य कार्यालय लोहरदगा।
4. निविदा डालने की अंतिम तिथि 06.08.2019 को 1.00 बजे अपराहन तक।
5. निविदा खुलने का स्थान :–निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,लोहरदगा के कार्यालय कक्ष में।
6. निविदा खुलने कि तिथि 06.08.2019 को अपराहण 3.00 बजे अपराहन नियत स्थान पर।
7. निविदा की शर्ते जिला मत्स्य कार्यालय लोहरदगा के सूचना पट्ट /lohardaga.nic.in पर किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

ह0/- 26/7/19

जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
लोहरदगा।

झारखण्ड सरकार

कार्यालय जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी , लोहरदगा।

फिड आपूर्तिकर्ताओं हेतु सामान्य अनुदेश/निदेश

1. निविदाकर्ता को वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यवसाय हेतु निबंधित होना चाहिए। तदनरूप GST से संबंधित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति लगावें।
2. विगत तीन वर्ष का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. आधार कार्ड का छायाप्रति।
4. पेन कार्ड का छायाप्रति
5. संबंधित कार्य का का अनुभव से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
6. प्राप्त आवंटन के अनुरूप प्रति मत्स्य बीज उत्पादक मो0 2000/– रूपये का फीड की आपूर्ति का आदेश दिया जाएगा।
7. निविदादाता को निविदा के फॉरमुलेटेड मैश स्पॉन फीड की भौतिक तथा रासायनिक संरचना, फाइबर की मात्रा 5% एवं प्रोटिन की मात्रा 28 से 30 % से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही वसा कम से कम 3% तथा विटामिन आहार संपरिर्वतन दर कम से कम 1.5% एवं शेल्फ–लाईफ का विवरण होना चाहिए।
8. फर्म/संस्थान/कम्पनी आई0एस0ओ0/आई0एस0आई मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
9. निविदादाता को निविदा के साथ सील बंद नमुना प्रस्तुत करना होगा।
10. निविदा दो लिफाफे में प्रस्तुत किया जाएगा , एक में तकनिकि एवं रासायनिक दस्तावेज तथा दुसरे में निविदा दर (परिवहन सहित)।
11. फीड की आपूर्ति निविदा में दिये गये मानक के अनुरूप ही परिवहन सहित जिला मत्स्य कार्यालय, लोहरदगा ,मुख्यालय तक करना होगा। अतएव निविदत्त दर परिवहन सहित अंकित किया जाएगा।
12. यदि प्रथम सफल निविदादाता किसी कारण वश आपूर्ति करने में असमर्थ रहता है उनका नाम काली सूची में दर्ज करते हुए जमा किये गये प्रतिभूति कि राशि को जब्त कर ली जाएगी। एवं उक्त दर पर ही दूसरे सफल निविदादाता को मौका दिया जाएगा।
13. आपूर्तिकर्ता से यह अपेक्षा होगी कि वे उपरोक्त वर्णित सभी अनुदेशों/निदेशों का अनुसरण एवं अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं किये जाने पर युक्तियुक्तरीति से फीड आपूर्ति/भुगतान संबंधी दावों को अस्वीकार किया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

विश्वासभाजन

Md. [signature]
26/7/19

जिलामत्स्य पदाधिकारी–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी